

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक - 1275 / 23 एल.ए.
सेवा में.

दिनांक-गोपेश्वर 07/07/2020

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज-पौथनी तक मोटर मार्ग निर्माण के वनभूमि प्रस्ताव के सम्बन्ध में
(FP/UK/ROAD/28961/2017)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार के पत्रांक 8B/UCP/06/150/2018/FC/2567 दि 013.02.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक कार्य FP/UK/ROAD/28961/2017 के वनभूमि प्रस्तावों पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नप्रकार प्रेषित है :-

क्रम संख्या	वन विभाग द्वारा लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	In reply to point No. 02, 03, 04, 05 06, revised documents neither found uploaded nor submitted in hard copy. State Government may submit and upload the same now	The Reply of Point 2 to 6 are given below :- 2- Alternative alignment has been uploaded in additional information Sl.No. - 2 3- Correction has been made in Part-I (E) in Employment Details - Paramanenet Employment - 01 Temp-Emp - 385 4- Village forest land matched with JIR. 5- Non forest land uploaded in online Part I 6- Part III is providing in hard copy and also in additional information Sl.No. - 34
2	उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार लाभन्वित होने वाले ग्राम की स्थिति एवं उपलब्ध Road Network को भी KML File पर अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रस्तावित ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग पर स्थित प्रतीत हो रहे हैं। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करें।	ग्राम डुंग्री जिसकी जनसंख्या 312 है, मुख्य मोटर मार्ग से लगभग 2.00 किमी0 की दूरी पर स्थित है, इसी प्रकार कुंज-पौथनी- 671 एवं बौला- 693 जनसंख्या वाले ग्राम भी मुख्य मोटर मार्ग से लगभग 2 से 3 किमी0 की दूरी पर स्थित हैं, किन्तु पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण KML फाईल में उक्त सभी ग्राम मोटर मार्ग से संयोजित हुये प्रतीत हो रहे हैं। जबकि वर्तमान में भी उक्त ग्रामवासी प्रत्येक दिन 2 से 3 किमी0 पैदल चलने को बाध्य हैं। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता एवं मात्रा जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त ग्रामों को गोटर मार्ग से संयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। जिसके क्रम में लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप संरेखण प्रस्ताव सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराने के पश्चात ही वनभूमि प्रस्ताव गठित किये गये हैं एवं उक्त संरेखण एवं सात्र संरेखण है, जो सभी बिन्दुओं को परिपूर्ण करता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

27-7-2020